न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 152/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/259)

वादीगण बनाम	प्रतिवादी
1. राधा देवी पत्नी पिथाराम पुत्री निमा राम उर्फ निमला जाति ब्राह्मण निवासी 36 एच नग्गी हाल निवासी वार्ड नम्बर 25 जोगिया बस्ती मार्ग लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर। 2. संतरो पत्नी भानीराम पुत्री निमा राम उर्फ निमला जाति ब्राह्मण निवासी 36 एच नग्गी हाल निवासी वार्ड नम्बर 25 जोगिया बस्ती मार्ग लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर। 3. किशना राम पुत्र निमा राम उर्फ निमला जाति ब्राह्मण निवासी 36 एच नग्गी हाल निवासी वार्ड नम्बर 25 जोगिया बस्ती मार्ग लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर। 4. सुमित्रा पत्नी गिरधारी राम पुत्री निमा राम उर्फ निमला जाति ब्राह्मण निवासी 36 एच नग्गी हाल निवासी वार्ड नम्बर 25 जोगिया बस्ती मार्ग लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर। 5. लीलाधर पुत्र निमा राम उर्फ निमला जाति ब्राह्मण निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 08.08.2024

उपस्थितः 1.श्री कुलदीप बाना अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

–-निर्णय–- **दिनांक : 03.03.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/54 के मुरब्बा नम्बर 91 की कुल 3.794 हैक्टेयर भूमि वादीगण व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी संख्या 1 का नाम रामादेवी, वादी संख्या 2 का नाम शांति देवी, वादी संख्या 3 का नाम कृष्ण लाल, वादी संख्या 4 का नाम कैलाश देवी अंकित है। जबकि वादी संख्या 1 का सही नाम राधा देवी, वादी संख्या 2 का सही नाम संतरो, वादी संख्या 3 का सही नाम किशना राम, वादी संख्या 4 का सही नाम सुमित्रा है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/54 के मुरब्बा नम्बर 91 की कुल 3.794 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 के अंकित नाम रामा देवी के स्थान पर राधा देवी, वादी संख्या 5 लीलाधर का नाम दर्ज किए जाने व राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/54, खाता संख्या 27/27 में वादीगण के अंकित नाम शांति देवी के स्थान पर संतरो, कृष्णलाल के स्थान पर किशनाराम, कैलाश देवी के स्थान पर सुमित्रा अंकित किये जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 148 दिनांक 22.01.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई और पाया कि रामा देवी व राधा देवी, संतरो व शांति देवी, कृष्णलाल व किशनाराम, सुमित्रा व कैलाश देवी दो–दो नाम एक ही व्यक्ति है। वादी संख्या 5 लीलाधर का नाम चक 37 एच के इंतकाल संख्या 144 से जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 दर्ज था। किन्तु वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 में लीलाधर का नाम सेग्रीगेशन द्वारा सहवन से हट गया। गवाह सरोज, मोहनी देवी शर्मा, श्यामलाल व विमला देवी के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर शपथपत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/54 की प्रति, राजस्व ग्राम 38 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 27/27 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/54 के मुरब्बा नम्बर 91 की कुल 3.794 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 के अंकित नाम रामा देवी के स्थान पर राधा देवी, वादी संख्या 5 लीलाधर का नाम दर्ज किए जाने व राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/54, खाता संख्या 27/27 में वादीगण के अंकित नाम शांति देवी के स्थान पर संतरो, कृष्णलाल के स्थान पर किशनाराम, कैलाश देवी के स्थान पर सुमित्रा अंकित किये जाने बाबत निवेदन किया गया है। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम क्रमशः राधा देवी, संतरो, किशनाराम, सुमित्रा दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई और पाया कि रामा देवी व राधा देवी, संतरो व शांति देवी, कृष्णलाल व किशनाराम, सुमित्रा व कैलाश देवी दो–दो नाम एक ही व्यक्ति है। वादी संख्या 5 लीलाधर का नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

चक 37 एच के इंतकाल संख्या 144 से जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 दर्ज था। किन्तु वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 में लीलाधर का नाम सेग्रीगेशन द्वारा सहवन से हट गया है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/54 के मुरब्बा नम्बर 91 की कुल 3.794 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 के अंकित नाम रामा देवी के स्थान पर रामा देवी उर्फ राधा देवी, वादी संख्या 5 लीलाधर का नाम दर्ज किए जाने व राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/54, खाता संख्या 27/27 में वादीगण के अंकित नाम शांति देवी के स्थान पर शांति देवी उर्फ संतरो, कृष्णलाल के स्थान पर कृष्णलाल उर्फ किशनाराम, कैलाश देवी के स्थान पर कैलाश देवी उर्फ सुमित्रा दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं मजि. उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं मजि. उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राधा देवी आदि बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **152/2024**
निर्णय दिनांक :- 03.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री कुलदीप बाना उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/54 के मुरब्बा नम्बर 91 की कुल 3.794 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 के अंकित नाम रामा देवी के स्थान पर रामा देवी उर्फ राधा देवी, वादी संख्या 5 लीलाधर का नाम दर्ज किए जाने व राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 64/54, खाता संख्या 27/27 में वादीगण के अंकित नाम शांति देवी के स्थान पर शांति देवी उर्फ संतरो, कृष्णलाल के स्थान पर कृष्णलाल उर्फ किशनाराम, कैलाश देवी के स्थान पर कैलाश देवी उर्फ सुमित्रा दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 03.03.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांकः 03.03.2025

क्रमांकः रीडर/2025/133

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते